3\. # कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 3493 दिनांक 26.11.2020

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.5 ha. of forest land for construction of road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in Rajasthan Baran Forest Division. (Proposal no- FP/RJ/ROAD/6996/2014)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/7/2015/एफ.सी./555 दिनांक 27.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने उनके पत्रांक 5550 दि. 18.11.2020 से इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार हैः–

1.	वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
2.	प्रयोगता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.5 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष प्रभावित वन क्षैत्र के में समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.5 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2.5 है0 164100/– रू. प्रति है. की दर से राशि 410250/– रू. यूजर ऐजेन्सी द्वारा कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
3.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेशित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त संख्या 3 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (2.5 ha x Rs 6.26 Lack Per ha.) की दर से राशि रूपये 1565000/– कैम्पा मद में जमा की दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनालाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। (ख) ऑनालईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन रसीद की छाया प्रति संलग्न हैं। ......P.T.O.

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 दर में बढोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।	(ग) शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) की दरों में बढोतरी होने पर बडी हुई धनराशि के भुगतान को जमा कराने के संबंध में यूजर ऐजेन्सी की अन्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षैत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोकता अधिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश व देशान्तर भी मानचित्र व पीलर पर द'ार्या जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दि'ाा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या–4 के तहत यूजर ऐजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर वनक्षेत्र में 4 फिट ऊचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने के संबंध में अन्डर टेकिंग प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेशित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य अनुमति के पूर्व प्रेशित की जाएगी।	शर्त संख्या–5 के तहत यूजर ऐजेन्सी द्वारा अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिचित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जावेगा।	शर्त संख्या–6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन, सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 27.12.2018 के पश्चात् किया गया है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करने के संबंध में यूजर ऐजेन्सी की अन्डर टेकिंग संलग्न है।
8.	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 27.12.2018 के पश्चात किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रति में संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि एक प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

25.11.20

क्रमांकः एफ. 14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 3494-97 दिनांक 26.11.2020

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
2. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहबाद, जिला बारां।

(पी. डी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर